BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 24 मार्च 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त मनु उर्फ मनीष पुत्र लोकेन्द्र सिरोही निवासी ग्राम सैदपुर थाना बीबी नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में थाना बीबी नगर क्षेत्र निवासी एक लड़की का हैरेसमेंट कर आत्महत्या के लिए उकसाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 10.07.2020 को थाना बीबी नगर पर मुअसं – 139/2020 धारा 306 भादवि पजीकृत किया गया तथा दिनांक 31.08.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 24.03.2025 को न्यायाधीश मौ0 नसीम (मा0 न्यायालय एडीजे– 05 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मनु उर्फ मनीष को 07 वर्ष का कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विमल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर